

कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर भीलवाड़ा
क्रमांक :- म.गा. नरेगा/संस्थापन/2018-19/ 11145 दिनांक 8/8/2018

सूचना

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 11 (18) ग्रावि /नरेगा /पद सृजन /2010 पार्ट-I / 00544 दिनांक 02.5.2018 की अनुपालना में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 11128 दिनांक 31.07.2018 द्वारा कनिष्ठ तकनीकी सहायक के 9 संविदा पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची व कार्यालय के आदेश क्रमांक 11127 दिनांक 31.07.2018 द्वारा लेखा सहायक के 12 संविदा पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई हैं।

अतः चयनित समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 13.08.2018 तक मूल दस्तावेजों सहित सत्यापन हेतु इस कार्यालय में उपस्थित होंगे नियत दिनांक तक उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी का चयन स्वतः निरस्त माना जावेगा।

सलंगन:-उपरोक्तानुसार आदेश।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद भीलवाड़ा

प्रतिलिपी :

1. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) सूचना प्रधौगिकी व संचार विभाग भीलवाड़ा को अपलोड कराने बाबत प्रेषित हैं।

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद भीलवाड़ा

कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर भीलवाड़ा

क्रमांक :- म.गा.नरेगा / संस्थापन / 2017-18 / 11/28

दिनांक 31.7.2018

आदेश

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजनांतर्गत श्रीमान शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के पत्र क्रमांक एफ 11 (8) ग्रावि / नरेगा / पद सृजन / 2016 / 93342 दिनांक 25.5.2017 द्वारा कनिष्ठ तकनीकी सहायक के रिक्त पदों पर सेवाएँ पूर्ण रूप से अस्थाई तौर पर पूर्णतया संविदा पद पर लेने की स्वीकृति प्राप्त हुयी जिसके तहत इस कार्यालय के द्वारा विज्ञापित क्रमांक 10492/1.11.2017 से आमंत्रित आवेदन पत्रों में से निर्धारित चयन समिति द्वारा 22 रिक्त पदों पर वरीयता व आरक्षण के आधार पर अस्थायी चयन आदेश जारी किये गये थे जिसके क्रम में चयन आदेश क्रमांक 11103/11.7.18 से चयनित अभ्यर्थियों में से दस्तावेज सत्यापन नहीं कराने तथा अनुबन्ध की कार्यवाही नहीं कराने वाले अनुपस्थित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त की जाती है तथा इनके स्थान पर आरक्षण एवं मैरिट अनुसार निम्न अभ्यर्थियों का वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 27.06.2014 में निर्धारित शर्तों के अधीन निम्नानुसार पात्र अभ्यर्थियों की सेवाएँ संतोष जनक सेवा की शर्त पर दिनांक 28.02.2019 / नरेगा योजना लागू रहने, जो भी पहले हों, तक अस्थायी रूप से संविदा पद पर लिये जाने का निर्णय लिया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि वे मूल दस्तावेजों का सत्यापन, संस्थान की मान्यता तथा ग्रेडिंग सिस्टम होने की स्थिति में सीजीपीए को प्रतिशत में परिवर्तन करने का फॉर्मूला का सत्यापन करावे । सत्यापन में मैरिट व आरक्षण अनुसार सही पाये जाने पर 100/- रु.के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 27.06.2014 के निर्धारित प्रारूप में मय 2 चरित्र प्रमाण पत्र ,50 रु. का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर ब्लेक लिस्टेड नहीं होने का प्रमाण पत्र व सी.एम.एच.ओ. से जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में दिनांक 13.8.18 तक कार्यालय जिला परिषद (नरेगा) भीलवाड़ा में उपस्थित होवे-

| क्र.सं. | फा.सं. | नाम अभ्यर्थी | श्रेणी | शैक्षणिक योग्यता | पद श्रेणी |
|---------|--------|-------------------|--------|------------------|-----------|
| 1 | 1781 | शेखर श्रीवेण्णत | GEN | CIVIL DEGREE | UR |
| 2 | 2546 | प्रशान्त शर्मा | GEN | CIVIL DEGREE | UR |
| 3 | 1130 | रामलखन गोचर | OBC | CIVIL DEGREE | UR |
| 4 | 331 | रजत सिंघवी | GEN | CIVIL DEGREE | UR |
| 5 | 3042 | राज श्री यादव | OBC F | CIVIL DEGREE | OBC F |
| 6 | 958 | लाल जी मीणा | ST | CIVIL DEGREE | ST |
| 7 | 391 | रामकेश मीणा | ST | CIVIL DEGREE | ST |
| 8 | 1332 | सुशील कुमार रेवास | SC | CIVIL DEGREE | SC |
| 9 | 2747 | विकास मेघवंशी | SC | CIVIL DEGREE | SC |

31/7/18

ग्रामीण विकास विभाग के आदेश के अनुसार कनिष्ठ तकनीकी सहायक को अधिकतम 8000/- रू. एक मुश्त मानदेय ,यात्रा भत्ता के रूप में 2000/- एवं ग्रामीण विकास कार्य भत्ता 3000/- रू. कुल 13000/- परिलाभ प्रति माह तथा अन्य परिलाभ अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार देय होगा । कनिष्ठ तकनीकी सहायक को कम से कम 20 दिवस का दौरा स्वयं के वाहन से कार्यों का निरीक्षण करना होगा, तभी उक्त मानदेय कन्टीजेन्सी मद से देय होगा।

(शुचि/त्यागी)

जिला कार्यक्रम समन्वयक
एवं जिला कलेक्टर भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर
2. श्रीमान आयुक्त राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर।
3. श्री (रजिस्टर्ड डाक द्वारा)

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
जिला परिषद भीलवाड़ा